रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 1989/फाल्गुन 12, 1910
No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 1989/PHALGUNA 12, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1989

का. आ. 173(अ)—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (यख) के साथ पठित धारा 45 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 45 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने के बाद वर्तकनगर माजिवड़े नगरी सहकारी बैंक लि., ठाणे (जिसे इसके पश्चात् "सहकारी बैंक" कहा गया है) के संबंध में एतद्द्वारा 3 मार्च 1989 को बैंक का कारोबार बंद होने से लेकर, 2 सितम्बर 1989 तक और उस दिन को मिलाकर अधिस्थगन आदेश जारी करती है जिसके अनुसार अधिस्थगन आदेश की अवधि के दौरान सहकारी बैंक के विरुद्ध सभी कार्यवाइयों का शुरू किया जाना अथवा शुरू की गयी कार्यवाइयों को जारी रखना स्थगित किया जाता है किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के अधिस्थगन का किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र को-आपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती कि स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान यह सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं देगा, किसी अग्रिम का नवीकरण नहीं करेगा, बैंक की किसी परिसम्पत्ति का अन्य संक्रामण अथवा निपटान नहीं करेगा, किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा अथवा अपने दायित्वों और देनदारियों के संबंध में अथवा अन्यथा किसी प्रकार की अदायगी नहीं करेगा अथवा अदायगी करना स्वीकार नहीं करेगा अथवा किसी प्रकार का समझौता अथवा ठहराव नहीं करेगा किन्तु वह निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक यथास्थिति अदायगियां अथवा खर्च करेगा —

(1) प्रत्येक बचत बैंक अथवा चालू खाता अथवा किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले किसी अन्य जमा खाते में शेष रकम में से 50 रुपये तक —

बशर्ते कि अदा की गयी रकम को कुल मिलाकर किसी एक व्यक्ति (किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त खाते में नहीं) के नाम से खाते में जमा कुल राशि 50 रुपए से ज्यादा न हो,

यह भी शर्त है कि ऐसे किसी व्यक्ति को कोई रकम अदा नहीं की जाएगी जो किसी प्रकार से सहकारी बैंक का कर्जदार हो,

(2) ऐसे किसी बैंक ड्राफ्ट पे आर्डर अथवा चेकों की राशि जो सहकारी बैंक द्वारा उस तारीख को जारी कर दिये गये हैं जिनका उस तारीख तक भुगतान नहीं किया गया है जिसको अधिस्थगन आदेश लागू होता है

(3) 3 मार्च 1989 को अथवा उससे पूर्व भुगतान के लिए प्राप्त हुंडियों का भुगतान चाहे वे उस तारीख से पहले, उस तारीख को या उस तारीख के बाद वसूल की गयी हों

(4) ऐसा कोई व्यय जो किसी सहकारी बैंक के द्वारा उसके अथवा उसके विरुद्ध दायर किए गए मुकद्दमे, अपील अथवा सहकारी बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध ली गयी डिक्री या बैंक को मिलने वाली किसी रकम को वसूल करने के संबंध में करना आवश्यक हो बशर्ते कि प्रत्येक मुकद्दमे, अपील अथवा डिक्री के संबंध में किए जाने वाले व्यय की रकम 500 रुपये से अधिक हो तो खर्च करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति ली जाएगी

(5) ऐसा कोई व्यय जो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी का देय प्रीमियम की राशि हो, और

(6) किसी अन्य मद पर कोई व्यय, जहां तक कि वह व्यय सहकारी बैंक के विचार में बैंक का दैनिक प्रशासन चलाने के लिए करना अनिवार्य हो

बशर्ते कि जहां किसी एक कैलेण्डर माह में किसी मद पर किया गया कुल खर्च अधिस्थगन आदेश से पहले के छः कैलेण्डर महीनों में उस मद पर किए गए औसत मासिक व्यय से बढ़ जाता हो अथवा उस अवधि के दौरान जहां उस मद पर कोई व्यय नहीं किया गया हो और उस प्रकार किया जाने वाला व्यय 250 रुपए से बढ़ जाए तो उस प्रकार का व्यय करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित रूप में अनुमति ली जाएगी।

3. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह भी निदेश देती है कि सहकारी बैंक की स्वीकृत अधिस्थगन की अवधि के दौरान —

(क) यह सहकारी बैंक निम्नलिखित और अदायगियां कर सकेगा अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियां अथवा अन्य प्रतिभूतियों के बदले महाराष्ट्र सरकार अथवा महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लि. या ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-आप. बैंक लि., ठाणे अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके किसी सहायक बैंकों या किसी अन्य बैंक द्वारा सहकारी बैंक को किए गए ऋणों अथवा अग्रिमों, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने की तारीख तक चुकाए जाने शेष थे, की वापसी अदायगी के लिए आवश्यक हो।

(ख) सहकारी बैंक को पूर्वोक्त अदायगियां करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लि. अथवा किसी अन्य बैंक के साथ अपने खाते चलाने की अनुमति दी जाएगी।

परन्तु इस आदेश का ऐसा कोई आशय नहीं होगा कि इस सहकारी बैंक को किसी रकम के दिए जाने से पहले महाराष्ट्र स्टेट को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लि. अथवा वैसे किसी अन्य बैंक को इस संबंध में अपने आपको आश्वस्त करना होगा कि इस आदेश द्वारा लगाई गयी शर्तों का इस बैंक द्वारा पालन किया जा रहा है।

(ग) यह सहकारी बैंक उन हुंडियों को, जो वसूल न की गयी हों, उनको प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर लौटा सकेगा यदि इस सहकारी बैंक का उन हुंडियों पर कोई अधिकार अथवा हक न हो अथवा वैसी हुंडियों में उसका कोई हित न हो।

(घ) सहकारी बैंक ऐसे माल अथवा प्रतिभूतियां को जो इस (बैंक) के पास किसी ऋण, नकद, कर्ज अथवा ओवरड्राफ्ट के बदले गिरवी, दृष्टि बंधक अथवा बंधक रखी गयी हों, अथवा अन्यथा प्रभारित की गयी हों, निम्नलिखित मामलों में छोड़कर अथवा दे सकेगा —

(1) किसी ऐसे मामले में जहां यथास्थिति ऋणकर्ताओं से मिलने वाली सारी रकम सहकारी बैंक द्वारा बिना शर्त प्राप्त की गयी है, और

(2) किसी अन्य मामले में, उस सीमा तक की रकम जितनी आवश्यक अथवा संभव हो, निर्दिष्ट अनुपातों से नीचे अथवा उन अनुपातों से नीचे, जो अधिस्थगन आदेश के प्रभावी होने से पहले लागू थीं, इनमें जो भी ऊंचे हों, उक्त माल और प्रतिभूतियां पर मार्जिन के अनुपातों को कम किये बिना।

[सं. 6-1/89-एसी]

पी. के. सन्यास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 3rd March, 1989

S.O. 173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 45, read with clause (zb) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, after considering the application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of the said section 45, hereby makes an order of moratorium in respect of the Vartaknagar-Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd., Thane (hereinafter referred to as the Co-operative Bank), for the period from close of business on the 3rd March, 1989 upto and inclusive of the 2nd September, 1989 staying the commencement or continuance of all actions and proceedings against the Co-operative Bank during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Government of Maharashtra of its powers under the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960.

2. The Central Government hereby directs that, during the period of the moratorium granted to it, the Co-operative Bank shall not, without the prior permission in writing of the Reserve Bank of India, grant any loan, make or renew any advance, alienate or dispose of any assets of the bank, incur any liability, make any investment or make or agree to make any payment, whether in discharge of its liabilities or obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except making of payments, or incurring of expenditure, as the case may be, to the extent and in the manner provided hereunder :—

(i) Out of the balance in every savings bank or current account or in any other deposit account, by whatever name called, a sum not exceeding Rs. 50 :

Provided that the total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the

name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 50 :

Provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the Co-operative Bank in any way;

(ii) the amounts of any drafts or pay orders or cheques issued by the Co-operative Bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before 3rd March, 1989 whether realized before, on or after that date,

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against, or degrees obtained by or against, the Co-operative Bank, or for realizing any amounts due to it :

Provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree is in excess of Rs. 500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

(v) the amounts of premium payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation; and

(vi) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the Co-operative Bank necessary for carrying on the day-to-day administration of the Co-operative Bank;

Provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or where no expenditure has been incurred on account of that item during the said period and the expenditure on such item exceeds the sum of Rs. 250, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the expenditure is incurred.

3. The Central Government hereby also directs that, during the period of the moratorium granted to the Co-operative Bank—

(a) may make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities to the Co-operative Bank by the Government of Maharashtra or the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or Thane District Central Co-operative Bank Ltd.; or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(b) may operate its accounts with the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., or with any other bank for the purpose of making the payments aforesaid :

Provided that nothing in this order shall be deemed to require the Maharashtra State Co-operative Bank Ltd. or such other bank to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Co-operative Bank;

(c) may return any bills which have remained unrealized to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the Co-operative Bank has no right or title to, or interest in such bills;

(d) may release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or other-wise charged to it against any loan, cash credit or overdraft, in the manner and to the extent—

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be has been received by the Co-operative Bank, unconditionally. and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportion of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions, or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 6—1/89-AC]

P. K. TEJYAN, Under Secy.

Printed by the Manager Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989